

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 102/2022

मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेन्स प्रा0लि0 शाखा कार्यालय वैशाली नगर, जयपुर जरिये
प्राधिकृत अधिकारी गजानन्द सेवदा

बनाम



...प्रार्थी

1. SITARAM SHARMA, Plot in Gram Didwana, Panchayat samiti Lalsot Distt. Dausa Rajasthan

....ऋणी

2. MANJU DEVI, Plot in Gram Didwana, Panchayat samiti Lalsot Distt. Dausa Rajasthan

...सह ऋणी



प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाने बाबत।

उपस्थित : श्री दर्शन कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 04.11.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेन्स प्रा0लि0 शाखा कार्यालय वैशाली नगर, जयपुर ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

Q



अधिवक्ता प्रार्थी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेन्स प्रा०लि० शाखा कार्यालय वैशाली नगर, जयपुर को सुना गया। हमने प्रार्थी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेन्स प्रा०लि० शाखा कार्यालय वैशाली नगर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेन्स प्रा०लि० शाखा कार्यालय वैशाली नगर, जयपुर को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति **Plot in Gram Didwana, Panchayat samiti Lalsot Distt. Dausa Rajasthan** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेन्स प्रा०लि० शाखा कार्यालय वैशाली नगर, जयपुर को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 04 नवम्बर, 2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा